



10.05.2023

वार्दिमा श्रवणी देवी द्वारा जरिहै वकील प्रार्थना पत्र
मिसल तलवी व प्रार्थना पत्र वावत विद्रो दावा
पेश करने पर पत्रावली शीगो से तलब कर
पेशी में ली गई। पक्षकारान ने उपास्थित होकर
जाहिर किया कि उन्में आपस में राजीनामा
हो चुका है तथा वे प्रकरण को आगे नहीं
चलाना चाहते हैं प्रकरण विद्रो करना चाहते
हैं। पक्षकारान को प्रार्थना पत्र पर सुना गया
तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना
पत्र पक्षकारान स्वीकार भोग्य होने पर स्वीकार
किया जाता है तथा बाद विद्रो करने की
अनुमति दी जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल
दफतर हो।


उप जज अधिकारी
मुम्बई (राज.)

कोर्ट अल्प
इ

पुनप्राप्त
Narasimha
नरेन्द्र